उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पिकप भवन, तृतीय तल,बी–ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

संख्या–G10595/३२/२०१०–११/36 दिनांक–19 अप्रैल,२०११

डॉ० आर० एस० यादव
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–३

दिनांक– २३ फरवरी, २०११ को सम्पन्न ८३ वीं बैठक की कार्यसूची संख्या– ८३.०६ पर बोर्ड के समक्ष " प्रदेश में स्टोन क्रशर स्किनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाईयों के संबंध में बोर्ड की ८० वीं बैठक में अनुमोदित गाईड लाइन में संशोधन " संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव, जिनकी छाया प्रति संलग्न है, पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्नलिखित प्राविधानों को गाइड लाइन में समावेशित किए जाने के निर्णय लिए गए:–

१. बाग से स्टोन कशर, स्किनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाईयों की न्यूनतम दूरी पूरब–पश्चिम 1500 मी० एवं उत्तर दक्षिण में 500 मी० होनी चाहिए। यहां बाग से तात्पर्य ऐसे बाग/ संयुक्त नर्सरी से है, जिसका क्षेत्रफल कम से कम 2.5 एकड़ का हो तथा जिसमें कम से कम 100 फलदार वृक्ष (आम/ मिश्रित) लगे हों। साथ ही जिला परिषद की गाईड लाइन्स अथवा स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिबन्ध, जो भी अधिक हों, लागू होंगे।

२. उत्तर प्रदेश में अभी तक इको–सैन्सटीव जोन घोषित नहीं हुए हैं। मा० सर्वोच्च न्यायालय के जो २००२ के आदेश थे, उसमें नेशनल पार्क एवं सेन्चुरी के १० किमी० क्षेत्र को इको–सेन्सटीव जोन घोषित करने की बात कही गई थी। फारेस्ट कन्जरवेशन एक्ट, १९८० के अन्तर्गत अस्थायी कशर एवं स्कीनिंग प्लान्ट हेतु (एजेण्डा के पृष्ठ–६८) गाइड लाइन्स निर्धारित की गई है, को अस्थाई स्टोन कशर हेतु अंगीकृत किया जाय।

साथ ही मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या– आईए नं० १५६८–१६०० इन डब्लू०पी०सी०२०२ आफ १९९५ में दिनांक– ०४.८.२००६ को पारित आदेश के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान एवं अन्य प्राणि विहार तथा वन क्षेत्र से ०१ कि०मी० की दूरी को सेफटी जोन माना गया है। इस सेफटी जोन के अन्दर स्टोन कशर, स्किनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाईयों की स्थापना प्रतिबन्धित है। अतः इसको अंगीकृत किया जाय। यह भी उल्लेख किया जाय कि इस संबंध में वन विभाग द्वारा लगाया गया प्रतिबन्ध लागू होगा तथा नियमानुसार वन विभाग की अनुमति भी केस टू केस स्टोन कशर द्वारा प्राप्त करनी होंगी।

३. मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन सं० 460 of 2004 in the matter of Goa foundation Vs Union of India में दिनांक– 04-12-2006 को पारित आदेश के अनुसार नेशनल पार्क/ वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी से १० कि०मी० की दूरी को इको सेन्सिटिव जोन निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं, जिसके अनुपालन में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक– 02-12-2009 द्वारा भारत सरकार ने राज्य

पा उपरोक्तानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
प० अधिकारी वृत्त 1,2,3,4,5,6,7,8,9
20.4.11

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-3)
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

जो प्रतिबन्ध लगाए जाएंगे,
सरकार द्वारा तत्क्रम में इको सेन्सिटिव जोन घोषित करने पर
वे उक्त क्षेत्र में स्थापित इकाईयों पर स्वतः लागू होगे।
उत्तर प्रदेश राज्य से सटे जिन राज्यों में राष्ट्रीय वन क्षेत्र एवं सेंचुरी को Eco Sensitive
४. Zone घोषित किया जा चुका है तथा उक्त Eco Sensitive Zone का कुछ हिस्सा
उत्तर प्रदेश की सीमा में आता है तो राष्ट्रीय वन क्षेत्र एवं सेंचुरी हेतु लगाए गए प्रतिबन्धों
का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
राष्ट्रीय संरक्षित वन क्षेत्र, सेंचुरी पार्क से स्टोन कशर, स्किनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर
५. इकाईयों की न्यूनतम दूरी के संबंध में भविष्य में मा० न्यांयालय अथवा वन एवं पर्यावरण
मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यदि कोई संशोधन किया जाता है तो वह स्वतः ही लागू
माना जाएगा।

अतः बोर्ड द्वारा लिए गए उक्त निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कर कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

(डा० सी० एस० भट्ट)
सदस्य–सचिव।

कार्यसूची संख्या–83.09

षय : प्रदेश में स्टोन क्रशर, स्क्रिनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइज़र इकाईयों के संबंध में बोर्ड की 80वीं बैठक में अनुमोदित गाईड लाइन में संशोधन के संबंध में।

उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाली एवं कार्यरत स्टोन क्रशर, स्क्रिनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर काईयों के संबंध में बोर्ड की 80वीं बैठक में गाईड लाइन (प्रति संलग्न) अनुमोदित की गई थी, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त गाईड लाइन के अनुक्रम में जिला उद्यान अधिकारी, सहारनपुर के त्रांक–535 / विविध, दिनाँक 21–08–2010 के द्वारा स्टोन क्रशर की स्थापना के लिए बागों से दूरी ब–पश्चिम 1500 मीटर एवं उत्तर–दक्षिण 500 मीटर निर्धारित किये जाने हेतु बोर्ड से अनुरोध या गया है (छायाप्रति संलग्न)। उक्त के अतिरिक्त जिला उद्यान अधिकारी, सहारनपुर के त्रांक–79 / एन0ओ0सी0, दिनाँक 28–07–2010 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उद्यान विभाग मानकों के अनुसार बाग 1.0 हेक्टेअर का होना चाहिए, जिसमें 100 कलमी आम के पौधें लगे होने हिए तथा बाग 10 वर्ष से अधिक आयु का हो। उसे ही बाग की श्रेणी में माना जाता है।

जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा भी पत्रांक–282 / एस–6 / पर्या0 / एसआरई / 10, दिनाँक 5–05–2010 के द्वारा पूर्व अनुमोदित गाईड लाइन के क्रम संख्या–3, जिसमें 'राष्ट्रीय संरक्षित वन त्र / सेंचुरी पार्क / आरचर्ड से दूरी 3 किमी0 होनी चाहिए' के सबंध में अनुरोध किया है कि जन त में संतुलित विकास की दृष्टि से यह उचित रहेगा कि स्टान क्रशिंग इकाई एवं बाग से दूरी के दर्भ में गाईड लाइन पर पुनर्विचार किया जाये।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विभिन्न वन क्षेत्रों को मुख्यतः निम्न 3 श्रेणियों बांटा गया है–

1-Protected Area (संरक्षित क्षेत्र) such as National Park and Sanctuary.

2-Protected Forest such as reserve forest (संरक्षित वन) declared under ection 29 of Indian forest Act.

3-Reserve Forest declared (आरक्षित वन क्षेत्र) under section 20 of Indian Forest Act.

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनाँक 02–12–2009 एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनॉक 04–12–2006 (रिट याचिका संख्या–460 आफ 2004) के अनुसार Protected Area जैसे कि नेशनल पार्क, Wild Life Sanctuary की बाउण्ड्री से 10 किमी0 तक का क्षेत्र Eco Sensitive Zone माना गया है।

वन मण्डल अधिकारी, वन विभाग, हरियाणा द्वारा अपने पत्र दिनाँक 04–12–2009 के द्वारा अवगत कराया है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनॉक 04–08–2006 में IA No. 1598-1600 in W.P. C 202/95 के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान एवं अन्य प्राणि विहार तथा वन क्षेत्र से 01 किमी0 की दूरी को Safety Zone माना गया है व इस Safety Zone के अन्दर किसी भी प्रकार का खनन कार्य नहीं हो सकता। राष्ट्रीय उद्यान एवं अन्य प्राणि विहार क्षेत्र के 03 किमी0 के साथ लगे क्षेत्र को संवेदनशील घोषित किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा–26 के अंतर्गत वर्जित है।

उपरोक्त परिस्थिति में सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाली एवं कार्यरत स्टोन क्रशर, स्क्रिनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाईयों के संबंध में बोर्ड की 80वीं बैठक में अनुमोदित गाईड लाइन के क्रम संख्या–3 "राष्ट्रीय संरक्षित वन क्षेत्र/सेंचुरी पार्क/आरचर्ड से दूरी 3 कि0मी0 होनी चाहिए।" के स्थान पर निम्न प्राविधानों को समावेशित किया जाना प्रस्तावित है:–

1. बाग से स्टोन क्रशर, स्क्रिनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाईयों की न्यूनतम दूरी पूरब–पश्चिम 1500 मी0 एवं उत्तर–दक्षिण में 500 मी0 होनी चाहिए। यहाँ बाग से तात्पर्य ऐसे बाग/संयुक्त नर्सरी से है, जिसका क्षेत्रफल कम से कम 2.5 एकड़ का हो तथा जिसमें कम से कम 100 फलदार वृक्ष (आम/मिश्रित) लगे हों।
2. संरक्षित क्षेत्र जैसे कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाईफ सेंचुरी की बाउण्ड्री से 10 किमी0 तक का क्षेत्रफल Eco Sensitive Zone घोषित है। अतः इस क्षेत्र में न्यूनतम 10 किमी0 की

दूरी के अन्दर स्टोन क्रशर, स्क्रिनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाईयों की स्थापना नहीं की जायेगी।

3. भारतीय वन अधिनियम की धारा–29 अथवा धारा–20 में घोषित संरक्षित वन क्षेत्र की बाउण्ड्री वाल से न्यूनतम 02 किमी0 की दूरी के बाहर स्टोन क्रशर, स्क्रिनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाईयां स्थापित की जानी चाहिए ।

4. उत्तर प्रदेश राज्य से सटे जिन राज्यों में राष्ट्रीय वन क्षेत्र एवं सेंचुरी को Eco Sensitive Zone घोषित किया जा चुका है तथा उक्त Eco Sensitive Zone का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश की सीमा में आता है तो राष्ट्रीय वन क्षेत्र एवं सेंचुरी हेतु लगाये गये प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. राष्ट्रीय संरक्षित वन क्षेत्र, सेंचुरी पार्क से स्टोन क्रशर, स्क्रिनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाईयों की न्यूनतम दूरी के संबंध में भविष्य में मॉ0 न्यायालय अथवा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यदि कोई संशोधन किया जाता है तो यह स्वतः ही लागू माना जायेगा।

अतएव बोर्ड की 80वीं बैठक में अनुमोदित गाईड लाइन के क्रम संख्या– 3 अर्थात् "राष्ट्रीय संरक्षित वन क्षेत्र/सेंचुरी पार्क/आरचर्ड से दूरी 3 कि0मी0 होनी चाहिए।" के स्थान पर उपरोक्त वर्णित बिन्दु 1 से 5 को 3(1), 3(2), 3(3), 3(4) तथा 3(5) के रूप में समावेशित करने हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

१८-१-१०

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पिकप भवन, तृतीय तल, बी--ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

संख्या-- G-1673/३२/२०१०/२   दिनांक-- 19.1.2010

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त–३

कृपया दिनांक– २१ दिसम्बर,२००६ को सम्पन्न ८० वीं बैठक की कार्यसूची संख्या-- ८०.०६ में प्रस्तुत विषय " प्रदेश में स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाईयों के संबंध में और अधिक प्रभावी कार्यवाही हेतु गाइड लाइंस बनाए जाने संबंधी प्रस्ताव (छाया प्रति संलग्न) पर बोर्ड द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया:–

"बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। साथ ही निर्देश दिए गए कि इस संबंध में वन विभाग की गाइड लाइन को भी संज्ञान में लिया जाय।"

अतः बोर्ड द्वारा लिए गए उक्त निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कर कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः-- यथोपरि।

(डा० सी० एस० भट्ट)
सदस्य--सचिव।

कार्य सूची संख्याः— 80.06

विषय – प्रदेश में स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाइयों के सम्बन्ध में और अधिक प्रभावी कार्यवाही हेतु गाइड लाइंस बनाए जाने के लिए प्रस्ताव

जनपद सहारनपुर, उत्तराखण्ड एवं हरियाणा राज्य की सीमा से लगा हुआ स्थित है। हरियाणा राज्य स्टोन क्रशिंग इकाइयों की बंदी के कारण कई नई स्टोन क्रशिंग इकाइयाँ/हरियाणा राज्य से विस्थापित हो यमुना नदी के किनारे–किनारे झुण्ड के रूप में स्थापित हो रही हैं। गत एक वर्ष में लगभग 50 नई इकाइयों प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। हरियाणा राज्य में स्टोन क्रशिंग इकाइयों पर रोक लगी होने के कारण इस संख्या में और वृ सम्भावित है। प्रश्नगत क्षेत्र के अंतर्राज्यीय सीमा से लगे होने, राजाजी नेशनल पार्क के निकट होने से यदि प्रा में ही रोक नहीं लगाई गई तो जनपद सहारनपुर में पर्यावरणीय असंतुलन की समस्या से नकारा नहीं जा सक है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि स्टोन क्रशिंग इकाइयों की स्थापना के संबंध में अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचि गाइड लाइंस नहीं हैं। बोर्ड द्वारा पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1146/45–3(2 प्रा0नि0/86 दिनांक 23.04.87 के अनुसार कार्यवाही की जा रही थी जिसके अनुसार मुख्यतः मुख्य मार्ग से द 500 मी0, मुख्य आबादी से दूरी 1 किमी0 तथा दो स्टोन क्रशिंग इकाइयों के बीच की दूरी 400 मी0 से कम न होनी चाहिए। दो स्टोन क्रशिंग इकाइयों के बीच की दूरी 400 मी0 का पालन करने पर इन इकाइयों का विस और अधिक क्षेत्र में होगा। स्टोन क्रशिंग इकाइयों को स्टोन उपलब्ध कराने वाले स्क्रीनिंग प्लाण्ट (वाटर वाशिंग) लिए भी स्थल स्थापना संबंधी नीति बनाई जानी आवश्यक है।

राज्य उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लाण्ट एवं पल्वराइजर अनुज्ञा नीति, 2008 ब गई है। (प्रति संलग्न) हरियाणा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.97 जारी की गई है। (प्रति संल हरियाणा राज्य की गाइड लाइंस में आबादी एवं सड़क से दूरी के मानक उ0प्र0 राज्य की वर्तमान नीति मिलते–जुलते हैं। हरियाणा राज्य की गाइड लाइंस में दो स्टोन क्रशर के बीच की दूरी निर्धारित नहीं उत्तराखण्ड की गाइड लाइंस में स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लाण्ट की चारदीवारी से न्यूनतम 50 मीटर दूरी पर दू प्लाण्ट की स्थापना के मानक निर्धारित हैं।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में पर्यावरणीय दृष्टि से संतुलित विकास एवं पर्यावरण संरक्षण उद्देश्य से प्रदेश में स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाइयों हेतु संलग्नानुसार गाइड लाइन त की गयी है।

अतएव, बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव है कि :—

प्रदेश में पर्यावरणीय दृष्टि से संतुलित विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से प्रदेश में स्टोन क्रशर प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाइयों हेतु प्रस्तावित गाइड लाइन का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान कर

संलग्नक

प्रदेश में स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाइयों के सम्बन्ध में और अ प्रभावी कार्यवाही हेतु गाइड लाइंस बनाए जाने के लिए प्रस्ताव

नई इकाइयों की स्थल के संबंध में गाइड लाइंस।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय दृष्टि से संतुलित विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से प्रदेश में स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाइयों की स्थापना के लिए निम्नलिखित गाइड लाइंस प्रस्ता हैं:-

1. राष्ट्रीय/राज्यमार्ग की चौड़ाई के मध्य से कम से कम 500 मीटर तथा अन्य मार्ग की चौड़ाई के मध्य 300 मीटर दूर स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लाण्ट की स्थापना अनिवार्य है।
2. आबादी/सार्वजनिक स्थल/विद्यालय/अस्पताल/प्रमुख धार्मिक स्थल से न्यूनतम दूरी 1 किमी0 चाहिए।
3. राष्ट्रीय संरक्षित वन क्षेत्र/सेंचुरी पार्क/आरचर्ड से दूरी 3 किमी0 होनी चाहिए।
4. नदी से अवैध खनन को रोकने के लिए स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लाण्ट के नदी फलड जोन एरिया से कम कम 500 मीटर दूर होना चाहिए, जिससे कि स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाइयों खनिज अवैध रूप से प्राप्त कर अथवा अवैध खनन कर उपयोग किये जाने की संभावना न हो। इस सत्यापन जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारी (जेष्ठ खान अधिकारी अथवा खान अधिकारी/ जिलाधि द्वारा प्राधिकृत किये गये अधिकारी) द्वारा किया जायेगा।
5. स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट में मुख्य प्लान्ट एवं मशीनरी चार दिवारी से न्यून्तम 50 मीटर दूर स्था करना ,वायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु नियमानुसार उपयुक्त व्यवस्था, अन्दर के सभी मार्ग पक्का करने, प्रतिशत भू-भाग पर सघन वृक्षारोपण करने, सम्पूर्ण क्षेत्र में धूल को हटाने की व्यवस्था, भूमि पर पानी छिड़काव, कच्चे माल एवं उत्पाद के भण्डारण करने के लिये पर्याप्त भूमि की व्यवस्था आवश्यक होगी। मुख्य प्लान्ट को स्थापित करने के लिये न्यूनतम् 1 हैक्टेयर भूमि आवश्यक होगी।
6. स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना हेतु पर्यावरणीय दृष्टि से अनुमति से पूर्व प्रस्तावित इकाई कच्चे माल की उपलब्धता के संबंध में खान विभाग के सक्षम अधिकारी से अनापत्ति/क्लीयरेन्स प्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

र्यरत स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाइयों के सम्बन्ध में गाइड ला

1. धूल के कणों का उत्सर्जन रोकने की विधि (Dust Extractors) या धूल के कणों को हवा में उड़ने से [illegible] की विधि (Water Sprinklers) का प्रभावी उपयोग स्टोन क्रशर / स्क्रीनिंग प्लाण्ट द्वारा करना होगा।
2. हवा के बहाव को रोकने हेतु दीवारों का निर्माण (Wind Breaking Wall) सभी धूल उत्सर्जन स्थानों [illegible] करनी होगी।
3. स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाइयों के अंदर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।
4. स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाइयों की सीमा के अंदर सम्पूर्ण क्षेत्र में धूल को हटाने व व्यवस्था तथा भूमि पर पानी [illegible] जाने की व्यवस्था करनी होगी जिससे कि धूल व कण हवा में न उड़ सकें।
5. स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाइयों के चारों तरफ कम से कम 33 प्रतिशत भू–भाग धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ की हरित पट्टी का विकास कर उसको संरक्षित करना होगा तथा यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी।
6. धूल एवं ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण में उपयोग होने वाली विधियों एवं उपकरण इकाई मालिक द्वारा अपने स्वयं के खर्चे पर स्थापित करने होंगे। धूल एवं ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण विधियों को स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाइयों में अनवरत कार्यरत रखने की जिम्मेदारी स्टोन क्रशर / स्क्रीनिंग प्लाण्ट स्वामी की होगी।

स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाइयों की पुनर्स्थापना

स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाइयों से समस्या को देखते हुए स्थल से उपरोक्त वर्णित निर्धारित दूरियों के सापेक्ष जिनके स्थल मानक के अनुसार नहीं है, को एक साल के अन्दर नए स्थान पर पुनर्स्थापित करने के संबंध में कार्यवाही करनी होगी।

अतः बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव है कि :—

प्रदेश मे पर्यावरणीय दृष्टि से संतुलित विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से प्रदेश में स्टोन क्रशर निंग प्लान्ट एवं गल्वराइजर इकाइयों हेतु प्रस्तावित गाइड लाइन का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान कर देंगे।

संलग्नक

देश [illegible] स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाइयों के सम्बन्ध में और आ प्र· [illegible]ी कार्यवाही हेतु गाइड लाइंस बनाए जाने के लिए प्रस्ताव

नई इकाइयों की स्थल के संबंध में गाइड लाइंस।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय दृष्टि से संतुलित विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से प्रदेश में स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाइयों की स्थापना के लिए निम्नलिखित गाइड लाइंस प्रस्ता हैः–

1. राष्ट्रीय/राज्यमार्ग की चौड़ाई के मध्य से कम से कम 500 मीटर तथा अन्य मार्ग की चौड़ाई के मध्य 300 मीटर दूर स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लाण्ट की स्थापना अनिवार्य है।
2. आबादी/सार्वजनिक स्थल/विद्यालय/अस्पताल/प्रमुख धार्मिक स्थल से न्यूनतम दूरी 1 किमी0 ह चाहिए।
3. राष्ट्रीय संरक्षित वन क्षेत्र/सेंचुरी पार्क/आरचर्ड से दूरी 3 किमी0 होनी चाहिए।
4. नदी से अवैध खनन को रोकने के लिए स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लाण्ट के नदी फलड जोन एरिया से क कम 500 मीटर दूर होना चाहिए, जिससे कि स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाइयों खनिज अवैध रूप से प्राप्त कर अथवा अवैध खनन कर उपयोग किये जाने की संभावना न हो। इ सत्यापन जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारी (जेष्ठ खान अधिकारी अथवा खान अधिकारी/ जिलाधि द्वारा प्राधिकृत किये गये अधिकारी) द्वारा किया जायेगा।
5. स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट में मुख्य प्लान्ट एवं मशीनरी चार दिवारी से न्यून्तम 50 मीटर दूर स्था करना ,वायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु नियमानुसार उपयुक्त व्यवस्था, अन्दर के सभी मार्ग पक्का करने, प्रतिशत भू–भाग पर सघन वृक्षारोपण करने, सम्पूर्ण क्षेत्र में धूल को हटाने की व्यवस्था, भूमि पर पानी छिड़काव, कच्चे माल एवं उत्पाद के भण्डारण करने के लिये पर्याप्त भूमि की व्यवस्था आवश्यक होगी। मुख्य प्लान्ट को स्थापित करने के लिये न्यूनतम् 1 हैक्टेयर भूमि आवश्यक होगी।
6. स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना हेतु पर्यावरणीय दृष्टि से अनापत्ति से पूर्व प्रस्तावित इकाई कच्चे माल की उपलब्धता के संबंध में खान विभाग के सक्षम अधिकारी से अनापत्ति/क्लीयरेन्स प्राप्त प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

– – – –